डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

नि:शुल्क

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-04 , रायपुर से प्रकाशित

03 जुलाई 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24

जनदर्शन : 1500 से ज्यादा आवेदन, सीएम ने 5 घंटे सुनी समस्याएं, उनके निराकरण के भी निर्देश दिए

संकल्प से समाधान, विष्णु का 'जन' दर्शन

- सुशासन, पारदर्शिता व कामकाज में तेजी लाने एक और पहल
- जनदर्शन में कोई भी कर सकेगा मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात
- सीएम ने 5 घंटे सुनी समस्याएं, जनदर्शन में 29525 आवेदन आए
- मुख्यमंत्री स्वयं लेते हैं आवेदन, करते हैं त्वरित समाधान
- आवेदन के रजिस्ट्रेशन के साथ- साथ पोर्टल से प्रगति की मॉनिटरिंग भी

छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और मुख्यमंत्री के बीच अब जरा भी दूरी नहीं रही। गरीब, आदिवासी, युवा, महिलाएं, दिव्यांग तथा कोई भी जरुरतमंद अपनी किसी भी समस्या को लेकर सीधे न सिर्फ मुख्यमंत्री से मिल सकता है, बल्कि तत्काल उसका समाधान भी पा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनता जनार्दन के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य में 27 जून 2024 से जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री और जनता के बीच सीधा संवाद होगा। प्रत्येक गुरुवार को होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम के पहले आयोजन में जिस तरह मुख्यमंत्री ने स्वयं एक-एक व्यक्ति की समस्या सुनकर उसे मौके पर ही हल किया, वह जनता के प्रति सीएम की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

हर शिकायत का टोकन नंबर, पोर्टल से मिलेंगे अपडेट

सभी शिकायतों और सुझावों को बकायदा रजिस्टर्ड किया गया, नागरिकों को टोकन भी दिया गया जिससे शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग की जा सके और आवेदक भी समय-समय पर आवेदन पर हुई कार्यवाही की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए बकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें टोकन नंबर दर्ज करते ही प्रगति की जानकारी आवेदक को मिल सकेगी। जनदर्शन की पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ताकि शिकायतों की प्रभावी निगरानी और निवारण हो सके।

इलाज और पढ़ाई की हुई त्वरित व्यवस्था

रायगढ़ के श्री विजेंद्र राठिया अपने दिव्यांग पुत्र हेमराज के भविष्य को लेकर बहुत परेशान थे। श्री साय ने दिव्यांग के इलाज और पढ़ाई का तुरंत इंतजाम करवा दिया। उन्हें माना स्थित दिव्यांग विशेष गृह में भर्ती कर लिया गया है, जहां पर उसके इलाज और पढ़ाई दोनों का ख़याल रखा जायेगा।

1 घंटे में ही मिला दिव्यांग प्रमाण पत्र

धरसींवा निवासी श्री मनीराम देवांगन का चार महीने पूर्व एक्सीडेंट हुआ था। एक महीने से दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे थे। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की निर्देश दिए। एक घंटे के भीतर मनीराम के हाथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र आ गया।

दमयंती को जापान भेजेगी साय सरकार

राजनांदगांव की दमयंती सोनी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला हूं जो जेसीबी चलाती हूं। मुझे एक्सपो के लिए जापान से बुलावा आया है, लेकिन आर्थिक दिक्कतों के कारण वहां नहीं जा पा रही हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सामान पैक करें, सरकार आपको जापान भेजेगी।

युवाओं का बढ़ाया हौसला

दुर्ग के बिसेसर जोगी ने मुख्यमंत्री से कहा कि एस आई डिप्लोमा करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। छग में स्वच्छता निरीक्षक की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। इस पर स्वच्छता निरीक्षक के पदों के लिए जानकारी मंगाकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

रोजगार सार

- न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार (कुल 27 पद) पेज : 3
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (कुल 26 पद) पेज : 7
- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कुल 75 पद) पेज : 11
- रोजगार और स्वरोजगार प्लेसमेंट कैम्प, दुर्ग (कुल 217 पद) पेज : 12

108 पहाड़ी कोरवाओं-बिरहोर युवाओं को मिली नियुक्ति

विशेष पिछड़ी जनजाति समाज का उत्थान आदिवासी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहली प्राथमिकता है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 108 युवाओं को जिला खनिज न्यास मद से मानदेय आधार पर योग्यतानुसार भृत्य एवं अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। इनमें 79 युवा भृत्य एवं 29 अतिथि शिक्षक बनाए गए हैं। यह युवा अपने घरों के पास स्थिति स्कूलों में नियुक्त होंगे। पूर्व में कुछ युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में भृत्य के पद पर नियोजित किया गया था। इनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अब 6 हजार मानदेय के बदले 8 हजार, 8 हजार मानदेय के स्थान पर 10 हजार रूपए और 10 हजार मानदेय के स्थान पर 12 हजार रूपए दिया जाएगा। इन नौकरियों से यह युवा अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। इससे पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति समाज का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होगा। वह विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित होने जा रहा हैं। पूर्व में कुछ युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में भृत्य के पद पर नियोजित किया गया था। इसी कड़ी में 108 युवाओं को शिक्षा विभाग अंतर्गत स्कूलों में अतिथि शिक्षक एवं भृत्य के पद पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मानदेय में वृद्धि करने की बात कही। अब 06 हजार

वनांचल के 43 युवाओं ने सीखा रोजगार मूलक काम

वनांचल के 43 युवाओं ने लिया रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण उत्पादन एवं वितरण तंत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का असर रोजगार परिदृश्य पर भी पड़ा है। अब सरकारी नौकरियों से कहीं अधिक स्वरोजगार की ओर युवा आकर्षित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने से के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुंगेली जिले में स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से आईआईसीआई फाउंडेशन लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं विलेज बोटानिस्ट पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कौशल विकास कार्यक्रम में चयनित 43 युवाओं को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कृत किया। यहां उल्लेखनीय है कि श्री विष्णु देव के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी से कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

सुरक्षा बलों के बेहतर तालमेल से माओवादी गतिविधियों में आ रही कमी

विगत साढ़े छः महीनों में 137 माओवादियों के शव बरामद, 526 गिरफ्तार, 442 ने आत्मसमर्पण किया

छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में निरन्तर कमी आ रही है। राज्य में केन्द्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ माओवादियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है। माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ-साथ शासन की नवीन ''नियद नेल्लानार योजना'' के तहत विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है, जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह बातें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित यूनिफाइड कमाण्ड की बैठक में कहीं। श्री साय ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सुचारू आवागमन हेतु सड़क,

सीएम साय ने ली यूनिफाइड कमाण्ड की बैठक

पुल-पुलियों एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश उन्होंने दिए। श्री साय ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और सुरक्षा बलों के कैम्पों में जवानों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सीमावर्ती राज्यों के साथ हो बेहतर तालमेल

सीएम साय ने सीमावर्ती राज्यों विशेषत: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश और ओड़िशा के साथ बेहतर समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही और सम्पर्क मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिए तथा उनके साथ सूचनाएं साझा किये जाने पर बल दिया।

रोजगार सूचना

डीवीसी
पदः जूनियर इंजीनियर व अन्य
पद संख्याः 64
अंतिम तिथिः 4 जुलाई 2024
www.dvc.gov.in

पीजीसीआईएल
पद : इंजीनियर ट्रेनी
पद संख्या : 435
आवेदन : ऑनलाइन
अंतिम तिथि : 4 जुलाई 2024
www.powergrid.in

बीएसएफ
पदः स्टैनोग्राफर व अन्य
पद संख्याः 1526
अंतिम तिथिः 8 जुलाई 2024
www.bsf.gov.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी
पदः लाइब्रेरियन, कार्यशाला अधीक्षक,
पद संख्याः 03
अंतिम तिथिः 15 जुलाई 2024
वेबसाइट https://www.iitg.

यूपीएसएसएससी
पद : होम्योपैथिक फार्मासिस्ट
पद संख्या : 397
अंतिम तिथिः 19 जुलाई 2024
https://upsssc.gov.in/

बीएसपीएचसीएल
पद : टेक्नीशियन व अन्य
पद संख्या : 2610
अंतिम तिथि : 19 जुलाई 2024
www.bsphcl.co.in

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
पदः जूनियर मैनेजर
पद संख्याः कुल 56
अंतिम तिथिः 21 जुलाई, 2024
www.hindustancopper.com/

पिक ऑफ वीक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वच्छता दीदियों के साथ पत्तों से बनी पतरी और दोने पर भोजन किया...

भतरा जनजाति में मातृशक्ति का विशेष स्थान

अरविंद मिश्रा

छत्तीसगढ़ राज्य विशिष्ट जनजातीय सांस्कृतिक विविधताओं से भरा प्रदेश है। भतरा जनजाति का मुख्य फैलाव बस्तर संभाग तथा ओडिशा व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में है। छत्तीसगढ़ में भतरा समुदाय मुख्य रूप से बस्तर के कोंण्डागांव जिले में निवास करता है। यह अपनी विशिष्ट कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जीवनशैली तथा नृत्य, संगीत, और नाट्यकला में सनातन संस्कृति की झलक दिखती है। भतरा शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अलग-अलग धारणाएं हैं। कुछ दंतकथाओं के अनुसार भतरा समाज के लोग राज घराने में विशिष्ट शैली से भात बनाते थे। इससे उन्हें भतरा शब्द से अलंकृत किया गया। एक अन्य मान्यता के मुताबिक भतरा शब्द की उत्पत्ति 'भू' स्वामी शब्द से हुई है। भुंई (जमीन) पर मेहनत करने वाला यह समुदाय भतरी बोली बोलता है।

भतरा समुदाय के लोग हजारों वर्षों से प्रकृति में पाई जाने वाली औषधियों के गुण से परिचित थे। यह समुदाय प्रकृतिपूजक है।यह समुदाय पशु-पक्षी, वनस्पति, पेड़-पौधे, खेत-खलिहान में भगवान का वास मानता है। इनके आवास के भीतर पूजा कक्ष होता है, जिसे यह देवघर या गुड़ी कहते हैं। इसके एक किनारे पर मिट्टी का चबूतरा बना होता है। इसमें देवी-देवताओं के प्रतीक के रूप में एक चाकू, खूंटा और मिट्टी स्थापित की जाती है। यहां ग्राम देवी-देवता के लिए देव उठनी, चरू जतरा जैसे त्योहार (तिहार) मनाए जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष कि एकादशी तिथि को कंद मूल और गन्ना एवं नये चावल को धोना प्रारंभ करने के लिए देवउठनी त्योहार मनाया जाता है। इसमें उपासक दिन भर व्रत रखता है। अपने देवी-देवताओं को कंद मूल

चढ़ाते हैं। इस दिन से शादी, गृह प्रवेश व निर्माण कार्य प्रारंभ होते हैं। इसी तरह चरू जतरा तिहार के बाद धान काटने का कार्य प्रारंभ होता है। आवास निर्माण का कार्य करने हेतु यह समुदाय रविवार, बुधवार या गुरूवार को शुभ दिन मानता है। आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले ग्राम के माटी पुजारी से भूमि पूजन कराया जाता है। भूमि पूजन के दौरान जल, तेल, चावल, नारियल और अगरबत्ती का विशेष उपयोग किया जाता है। भूमि पर सिंदूर छिड़क कर नारियल फोड़ा जाता है। इसके बाद पूर्व की ओर मुंह कर भूमि पर आवास के प्रारूप के अनुसार पाया (नींव) खोदने का कार्य प्रारंभ होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के दौरान वर और वधु दोनों को हल्दी-तेल लगाने की परंपरा का प्रसार इसी समुदाय से प्रारंभ हुई है। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग झेला नृत्य करते हैं। इस समुदाय में विवाह के दौरान अंजरी चाऊर नेंग रस्म के साथ तेल रोकानी, परला नचानी, बांधनी चढ़ानी, कन्या निया,लगीन, टिकावन, बाट छोकनी, सांभर-बिंदनी जैसी 29 रस्म विवाह के दौरान संपन्न कराई जाती हैं।

इस समुदाय के देवी देवताओं में मातृशक्ति का अग्रणी स्थान है। कंकालीन देवी और हिंगलाजिन माता ग्राम देवी होती है। इसी प्रकार शीतला माता और परदेशीयन आया की भी पूजा की जाती है। इनकी ठाकुर देव, बुडा बाबा, दंतेश्वरी देवी तथा बुढ़ी माई पर विशेष आस्था है। करमा, गौरा गीत व रहस जैसी लोककलाओं में इनकी सनातन संस्कृति अभिव्यक्त होती है। इस समुदाय के लोग वनों से खाद्य व वनोपज संकलित करते हैं। वनोपज में साल, बीज, महुआ, कोषा,चार (चिरौंजी) का संकलन प्रमुख रूप से करते हैं।

आईटीआई राजनांदगांव में प्लेसमेंट कैम्प 4 जुलाई को

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण्ड्री राजनांदगांव में 4 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट कैम्प में कैरियर ट्री द्वारा टाटा मोटर्स गुजरात एवं डेलफिंजेन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड चेन्नई के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। शासकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से 18 से 32 वर्ष के आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षण सत्र 2022-24 व 2023-24 के प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी, 12वीं उत्तीर्ण एवं स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार अपने समस्त शैक्षणिक तथा आवश्यक प्रमाण पत्र 10वीं, आईटीआई, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ प्लेसमेंट कैम्प में शामिल हो सकते है।

प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 21 जुलाई को

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा रविवार 21 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। प्राक्चयन परीक्षा में शामिल होने इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी 8 जुलाई 2024 तक वेबसाईटhttps://tribal.cg.gov.in/पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।राज्य में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों के कक्षा 11वीं में विभिन्न जाति वर्ग समूह अंतर्गत 148 सीट रिक्त हैं। रिक्त सीटों पर प्रवेश प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम होगा। प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं स्तर का होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 8 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

राजनांदगांव में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर नियुक्त के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर नियुक्त के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदिका 8 जुलाई 2024 तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव (शहरी) में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 3 जुलाई को

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में 3 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है।

प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से बीएसीएस एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड कोसा नाला टोल प्लॉजा सुपेला भिलाई जिला दुर्ग द्वारा एचआर (ट्रेनी व एक्जीक्यूटिव), असिस्टेंट व डिप्टी मैनेजर व मैनेजर, ट्रेनी व एक्जीक्यूटिव (बिजनेस डेव्हलपमेंट), कारपेंटर (केवल पुरूष), फिटर (केवल पुरूष), मेशन (केवल पुरूष), वेल्डर (केवल पुरूष), ग्राईन्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, स्ट्रक्चरल फिटर, रिगर (केवल पुरूष), इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, लेबर, स्टोर ऑफिसर, बार बेंडर, गैस कटर, असिस्टेंट ऑपरेटर तथा एवं सेफ इंटेलीजेंट सिक्यूरिटी सर्विसेस भिलाई जिला दुर्ग द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड एवं सिक्यूरिटी सुपरवाईजर (केवल पुरूषा) पदों पर भर्ती की जाएगी।

चयनित आवेदकों को नियोजक द्वारा रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। प्लेसमेंट कैम्प में शामिल होने के लिए इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता के सम्पूर्ण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो व रोजगार पंजीयन कार्ड के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।

रोजगार पंजीयन एवं नवीनीकरण अब ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रारंभ

राज्य़ शासन के रोजगार विभाग द्वारा शिक्षित युवक-युवतियों की सुविधा हेतु रोजगार पंजीयन एवं नवीनीकरण, ऑनलाइन मोबाईल ऐप अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। इस हेतु आवेदक विभागीय वेबसाइट https://erojgar.cg.gov.in ओपन करेंगे। ऐप डॉउनलोड करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप डॉउनलोड करेंगे। फिर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप इंस्टॉल करेंगे। जिसके पश्चात उपयोगकर्ता को स्वयं का नाम, आधार कार्ड अनुसार, मोबाईल नम्बर भरकर 04 अंकों की ओटीपी भेजकर सत्यापित करेंगे। मोबाईल नम्बर सत्यापन करने के पश्चात एमपीआईएन पासवर्ड बनाएंगे, जिसके बाद लॉगइन मेन्यू में जाकर लॉगइन करेंगे। इसके पश्चात पंजीयन मेन्यू में जाकर अपना आधार अपडेट करेंगे। ओटीपी द्वारा सत्यापित करेंगे, फिर अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, उच्चतम योग्यता, जाति, पता आदि जानकारी सावधानीपूर्वक भरेगें। सम्पूर्ण जानकारी भरने के पश्चात सबमिट करेंगे। जिससे आवेदक को पंजीयन नम्बर, नवीनीकरण एक्स-10 प्राप्त होगा। जिसे डाउनलोड कर अपने नजदीक लोक सेवा केन्द्र च्वाईस सेंटर या जिला रोजगार कार्यालय में आकर प्रिंट निकलवा सकते हैं।

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक : मयंक श्रीवास्तव
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा
सह संपादक : मोहन मिश्रा, संदीप सिन्हा
लेआउट डिजाइन : धनेश दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजूरानी, राकेश साहू
वितरण : विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन नि:शुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

कार्यालयः न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

क्र–Q–3 / 24 / परि.न्याया. बलौदाबाजार दिनांक / 06 / 2024

/ / सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन / /

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 / 07 / 2024 संध्या 05:00 बजे तक।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 4650/III–18–27 / 2023/D.E. बिलासपुर दिनांक 15 / 03 / 2024 के आदेशानुसार तथा छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) रायपुर, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 कर्मचारी नियम के आलोक में कार्यालय– न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) की स्थापना में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन क्रं.04 / दो–10–1 / 2019 बलौदाबाजार दिनांक 12.07.2023, विज्ञापन क्रं.09 / दो–10–1 / 2019 बलौदाबाजार दिनांक 14.07.2023 तथा विज्ञापन क्रं.07 / दो–10–1 / 2019 बलौदाबाजार दिनांक 14.07.2023, के तारतम्य में साक्ष्य लेखक (1पद), भृत्य (1 पद) तथा आकस्मिकता निधि (4 पद) के संवर्ग में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति किये जाने हेतु परिमार्जित विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अतः भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

नोटः–ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त पदों पर पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन क्रं.04 / दो–10–1 / 2019 बलौदाबाजार दिनांक 12.07.2023, विज्ञापन क्रं.09 / दो–10–1 / 2019 बलौदाबाजार दिनांक 14.07.2023 तथा विज्ञापन क्रं.07 / दो–10–1 / 2019 बलौदाबाजार दिनांक 14.07.2023 में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	तृतीय श्रेणी पद																					
1	साक्ष्य लेखक	1		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-		01	-	-	-	01
	चतुर्थ श्रेणी पद																					
1	भृत्य	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (माली/स्वीपर/चौकीदार/वाटरमेन)																					
1	माली (01 पद) स्वीपर (01 पद) चौकीदार (01 पद) वॉटरमेन (01 पद)	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2
	कुल योगः-	6	1				1						2				2	3				3

महत्वपूर्ण टीपः–

1. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार माननीय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के पास सुरक्षित होगा।
2. परीक्षा के किसी भी क्रम में आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसी अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे , आरक्षित वर्ग के विरूद्ध नहीं।
4. महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(1) साक्ष्य लेखक पद के लिए –

(अ) वेतनमान :– वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (रूपये 19500–62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(a) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा,

(b) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा,

(c) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।

(d) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी(बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

(2) भृत्य पद के लिए –

(अ) वेतन– वेतन मैट्रिक्स लेवल–1 (रूपये 15600–49400)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा आठवी उत्तीर्ण हो।"

(ii) शासकीय आवासध्कार्यालय में घरेलू कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

(iii) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी(बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

(3) आकस्मिकता निधि पद के लिए –

(अ) वेतन–कलेक्टर, बलौदाबाजार (छ.ग.)द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।

(ii) शासकीय आवास / कार्यालय में घरेलू कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

(iii) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

टीपः–उपरोक्त पदों से संबंधित अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

क्रमशः

अभ्यर्थी वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर के अलावा माली, फर्राश, वाहन चालक, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, राज मिस्त्री, धोबी, गार्ड के काम का अनुभव रखते हों तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देशः– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अंतिम रूप से अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर और नियुक्ति के पश्चात भी आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन या नियुक्ति निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें –

1. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी) अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति को संलग्न करें।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
3. उपरोक्त पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र जिनमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के वित्त निर्देश क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.08.2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित (नियमित पद हेतु) उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर केवल 01 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
5. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
6. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।
8. आवेदक को अच्छा चरित्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हता होगी।
9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in का अवलोकन कर प्रदान की गयी जानकारी से अद्यतन रहे, विलंब से सूचना मिले हेतु चयन समिति जवाबदेह नहीं होगी।

सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता

1. कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
2. कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सालय बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

   परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण–पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्ययीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
4. अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।
5. कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदिः–

   (क) वह किसी विधि–विरूद् निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है।

   अथवा

   (ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ हैः–

   (i) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो,

   (ii) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो,

   (iii) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हों,

   अथवा

   (iv) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो,

   अथवा

   (ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च् न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है,

   अथवा

   (घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च् न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निर्हित किया गया हो,

   अथवा

   (ङ) जो नैतिक अद्यमता समाहित किसी अपराध में दोष सिद्ध ठहराया जा चुका हो।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः–

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जावे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र **कार्यालयः–** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) के कार्यालय में रखे बॉक्स में निर्धारित अवधि दिनांक 08/07/2024को समय संध्या 5.00 बजे तक कार्यालयीन समय तक डाल सकते हैं। इसके अलावा डाक/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट/कुरियर/ई–मेल (या अन्य किसी भी माध्यम) से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08/07/2024 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन निर्धारित बॉक्स में निर्धारित तिथि के पूर्व डाले।
2. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार के शासकीय वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग, डाउनलोड कर किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं नवीनतम स्वप्रमाणित रंगीन फोटो

क्रमशः

चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/ पेनकार्ड/पासपोर्ट की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र को निरस्त माना जायेगा। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो निर्धारित स्थान पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि या अपूर्णता पायी जाती है तो त्रुटि एवं अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना कोई सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
5. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां जो कि स्पष्टतः पठनीय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। स्वयं का पता लिखा 01 लिफाफा जिसमें 5.00 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

1. अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी और लिखित परीक्षा के पश्चात कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिया जायेगा।

2. साक्ष्य लेखक के पद हेतु परीक्षा :–

(अ) लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी , जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि 30 मिनट की होगी।

(ब) कौशल परीक्षाः–

(i) उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों के मिश्रितगद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि/अशुद्धि के लिए 1 (एक) अंक काटा जावेगा (कौशल परीक्षा 250 अंको की होगी।)

(ii) उम्मीदवारों को साक्ष्य लेखक के पद के संबंध में कम्प्यूटर में हिन्दी की टायपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key-depression) प्रतिघंटा के संबंध में, कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।

महत्वपूर्ण टीपः– कौशल परीक्षा उबन्टू लिनिक्स (Ubuntu Linux) लिब्रे–ऑफिस HINDI-Vedmata/विंडोज ओ.एस.(Window O-S-)/एम.एस.वर्ड (Libre Office/MS Word), Kruti dev में ली जायेगी।

3. भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु परीक्षा :–

(अ) लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी , जिसमें कक्षा 8 वी स्तर का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि 30 मिनट की होगी।

(ब) कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जावेगा।

4. साक्ष्य लेखक के पद , भृत्य के पद एवं आकस्मिकता निधि के पद की लिखित परीक्षा उपरांत यथासंभव उसी दिन कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है।

चयन एवं प्रतीक्षा सूचीः–

1. लिखित एवं कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में अर्जित अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार जायेगी एवं वरीयता के आधार पर पदों की संख्या अनुरूप नियुक्ति दी जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।
2. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
3. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर जिस अभ्यर्थी के द्वारा लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक अर्जित किये गये हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में भी अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे तब चयन समिति अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगी।
4. चयन एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को दावा/आपत्ति हो तो वह परीक्षा परिणाम प्रकाशन होने के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) का होगा जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
3) आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.) से सत्यापित कराया जा सकेगा।
4) चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो कार्यभार ग्रहण किये जाने पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5) उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल. पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
6) यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
7) आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा एवं स्व–हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट या पेन कार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होनेसे वंचित किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर या एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
8) प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटनी करने के उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार के वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 (सात) दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।
9) प्रतियोगी परीक्षा से सबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
10) आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 01 घण्टा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा
11) उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा, प्रवेश पत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार की वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in पर अपलोड किया जायेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर हार्डकॉपी के साथ परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।
12) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं।
13) कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

क्रमशः

14) चयन किये गये उम्मीदवारों की नियुक्ति माननीय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार, अथवा उससे संबंधित न्यायालयों में भी की जा सकती है।

स्थान :– बलौदाबाजार
दिनांकः–20/06/2024

अध्यक्ष,
चयन समिति,
कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार
जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

साक्ष्य लेखक/भृत्य/आकस्मिकता निधि के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो संलग्न करें।

प्रति,

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

1– आवेदित पद का नाम :.......................................
2– आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :.......................................
3– लिंग (संकेतांक) (पुरूष–1, महिला– 2, अन्य– 3)
4– पिता/पति का नाम
5– (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :.......................................
(हिन्दी में)
(ब) स्थाई पता :.......................................
....
....
....
....
....
6– (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :.......................................
जन्म तिथि (शब्दों में) :.......................................
(ब) दिनॉक 01–01–2023 को आयु – वर्ष ....माह...........दिन.......................
(यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न करें)
7– क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? हॉं/नहीं.......................................
(यदि हॉं तो सक्षम अधिकारी जारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8– (अ) क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित.................................. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हॉं/नहीं
(यदि हॉं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा अंकित करें। ....
9– (अ) क्या आवेदक दिव्यांग है ? हॉं/नहीं ....
(यदि हां तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
(ब) दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत ....
10– (अ) क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हॉं/नहीं.......................................
(यदि हॉं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)
11– रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक/वैधता दिनांक :.......................................
12– रोजगार कार्यालय का नाम :.......................................
13– क्या आप विवाहित है ? हॉं/नहीं :.......................................
14– यदि विवाहित हो तो विवाह की तिथि :.......................................
15– जीवित बच्चों की संख्या/जन्मतिथि :.......................................
16– शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र–	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि–वि का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

17– कार्य अनुभव (यदि हो तो) प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र–	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल अवधि
1				
2				
3				

18– क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? ––––––हॉं/नहीं
(यदि हॉं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
19– आवेदक स्वयं का मोबाईल नं– अंकित करें ....
(यदि ई–मेल आईडी हो तो दर्ज करें)
20– स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–.......................................
1.......................................
2.......................................
3.......................................
4.......................................
5.......................................
6.......................................
7.......................................
8.......................................
9.......................................
10.......................................

दिनॉंक :–
स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर नाम
एवं पूरा पता

//घोषणा पत्र//

मैं––––––––––––पति/पत्नी/पिता/अभिभावक सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रदद किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम सहित

आर.ओ.27/जी–242500514/3

कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

क्र–03 / जि.–न्या.–स्टे–स.ग्रे. / 2024 बलौदाबाजार दिनांक 21 / 06 / 2024

/ / सीधी भर्ती हेतु परिमार्जित विज्ञापन / /

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 / 07 / 2024 संध्या 05:00 बजे तक।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 4650 / III–18–27 / 2023 / D.E. बिलासपुर दिनांक 15 / 03 / 2024 के आदेशानुसार तथा छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) रायपुर, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 कर्मचारी नियम के आलोक में कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) की स्थापना में विज्ञापन क्र.3 / दो–12–17 / 2013 बलौदाबाजार दिनांक 11 / 07 / 2023 के तारतम्य में स्टेनोग्राफर (हिन्दी) तथा सहायक ग्रेड–03 संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति किये जाने हेतु परिमार्जित विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अतः भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

नोटः–ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त पदों पर पूर्व में विज्ञापन क्रमांक 3 / दो–12–17 / 2013, बलौदाबाजार दिनांक 11 / 07 / 2023 के अनुसार आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

रिक्त पदों का विवरणः–

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित				
			मुक्त	1 पद महिला हेतु आरक्षित	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	02	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	सहायक ग्रेड-3	08	5		-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3

महत्वपूर्ण टीप :–

1. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
2. विज्ञापन जारी किये जाने के पश्चात एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व परीक्षा के किसी भी क्रम में आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसी अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित वर्ग के विरूद्ध नहीं।
4. महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए–

(अ) वेतनमान :– वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (रूपये 28700–91300)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।

(4) कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए।

(5) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी(बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

(3) सहायक ग्रेड–03 पद (साक्ष्य लेखक / आदेशिका लेखक / निष्पादन लिपिक / प्रतिलिपिकार / सहायक अभिलेखापाल / सहायक सांख्यिकी लेखक / कार्यालय टायपिस्ट / प्रेषक / कार्यालय मोहर्रिर / टायपिस्ट / सेल अमीन(बैलिफ) के लिए–

(अ) वेतनमानः– वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (रूपये 19500–62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा,

(2) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।

(4) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी(बोली) / स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्देशः–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अंतिम रूप से अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें –

1. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी) अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति को संलग्न करें।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
3. उपरोक्त पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छ.ग. के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र जिनमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः

4. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के वित्त निर्देश क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.08.2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर केवल 01 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
5. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
6. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।
8. आवेदक को अच्छा चरित्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हता होगी।
9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट balodabazar.dcourts.gov.in का अवलोकन कर प्रदान की गयी जानकारी से अद्यतन रहे, विलंब से सूचना मिले हेतु चयन समिति जवाबदेह नहीं होगी।

सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता

(1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
(2) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
(3) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सालय बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

(परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण–पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्ययीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।)

(4) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।
(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदिः–

(क) वह किसी विधि–विरूद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है,

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है –

(i) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो,
(ii) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो,
(iii) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हों,

अथवा

(iv) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो,

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च् न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है,

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च् न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो,

अथवा

(ङ) जो नैतिक अद्यमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जा चुका हो।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जावे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) के कार्यालय में रखे बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं , जो कि दिनांक 08 /07/2024 को समय संध्या 5.00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा डाक/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट/कुरियर/ई–मेल (या अन्य किसी भी माध्यम) से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08/07/2024 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन निर्धारित बॉक्स में निर्धारित तिथि के पूर्व डाले।
2. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार के शासकीय वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग, डाउनलोड कर किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं नवीनतम स्वप्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेनकार्ड/पासपोर्ट की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र को निरस्त माना जायेगा। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो निर्धारित स्थान पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि या अपूर्णता पायी जाती है तो त्रुटि एवं अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना कोई सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
5. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां जो कि स्पष्टतः पठनीय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। स्वयं का पता लिखा 01 लिफाफा जिसमें 5.00 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

1. अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी और लिखित परीक्षा के पश्चात कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिया जायेगा।

2. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु परीक्षा :–

(अ) लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी , जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि 30 मिनट की होगी।

(ब) कौशल परीक्षा हेतु –

(i) अभ्यर्थियों को 100 (एक सौ) शब्द प्रति मिनट की गति से 5 (पांच) मिनट का करीब 500(पांच सौ) शब्द का हिन्दी श्रुत लेखन (डिक्टेशन) दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 50 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1 (एक) अंक काटा जायेगा। (कौशल परीक्षा 500 अंको की होगी।)

(ii) उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद के संबंध में कम्प्यूटर में हिन्दी की टायपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key-depression) प्रतिघंटा के संबंध में , कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।

3. सहायक ग्रेड–03 के पद हेतु कौशल परीक्षाः–

(अ) लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी , जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ट प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि 30 मिनट की होगी।

(ब) कौशल परीक्षा हेतु–

(i) उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों के मिश्रित गद्यांश को

क्रमशः

निर्धारित समय 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि/अशुद्धि के लिए 1 (एक) अंक काटा जावेगा (कौशल परीक्षा 250 अंको की होगी।)

(ii) उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड–3 के पद के संबंध में कम्प्यूटर में हिन्दी की टायपिंग की गति 5,000 की–डिप्रेशन (Key-depression) प्रतिघंटा के संबंध में, कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।

महत्वपूर्ण टीपः– बिन्दु क्रमांक –2(ब)(i)(ii)एवं 3(ब)(i)(ii) के संबंध में कौशल परीक्षा उबन्टू लिनिक्स (Ubuntu Linux) लिब्रे–ऑफिस HINDI-Vedmata/विंडोज ओ.एस.(Window O.S.)/एम.एस.वर्ड (Libre Office@MS Word), Kruti dev में ली जायेगी।

4. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं साक्ष्य लेखक के पद की लिखित परीक्षा उपरांत यथा संभव उसी दिन कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है।

चयन एवं प्रतीक्षा सूचीः–

1. लिखित एवं कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में अर्जित अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार जायेगी एवं वरीयता के आधार पर पदों की संख्या अनुरूप नियुक्ति दी जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।
2. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
3. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर जिस अभ्यर्थी के द्वारा लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक अर्जित किये गये हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में भी अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे तब चयन समिति अन्य मापदंड निर्धारित कर सकेगी।
4. चयन एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को दावा/आपत्ति हो तो वह परीक्षा परिणाम प्रकाशन होने के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार का होगा जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
3) आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.) से सत्यापित कराया जा सकेगा।
4) चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो कार्यभार ग्रहण किये जाने पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5) उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल. पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
6) यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
7) आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा एवं स्व–हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र , पासपोर्ट या पेन कार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा,उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर या एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
8) प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटनी करने के उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार के वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 (सात) दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो सके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और वेबसाईट का समय –समय पर अवलोकन करते रहें।
9) प्रतियोगी परीक्षा से सबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
10) आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 01 घण्टा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।
11) उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा, प्रवेश पत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार की वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in पर अपलोड किया जायेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर हार्डकॉपी के साथ परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।
12) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं।
13) कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी किसी भी समय सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
14) चयन किये गये उम्मीदवारों की नियुक्ति जिला बलौदाबाजार के बाहय न्यायालयों में भी की जा सकती है।

स्थान :– बलौदाबाजार
दिनांकः–20/06/2024

अध्यक्ष,
चयन समिति,
कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार
जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

स्टेनोग्राफर (हिन्दी)/सहायक ग्रेड–03 के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

1– आवेदित पद का नाम :..

2– आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :..

3– लिंग (संकेतांक) (पुरूष–1, महिला– 2, अन्य– 3)

4– पिता/पति का नाम

5– (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :..
(ब) स्थाई पता :..
....

6– (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :..
जन्म तिथि (शब्दों में :..
(ब) दिनॉक 01–01–2023 को आयु – वर्ष ......माह...........दिन.......................
(यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न करें)

7– क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं....................................
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी जारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8– (अ) क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित.................................
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नही
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित

क्रमश

प्रति संलग्न करें)
(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ....
अन्य पिछड़ा अंकित करें।
9– (अ) क्या आवेदक दिव्यांग है ? हाँ/नहीं ....
(यदि हां तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल
बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
(ब) दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत ....
10– (अ) क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/नहीं..
(यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)
11– रोजगार कार्यालय का जीवित
पंजीयन क्रमांक/वैधता दिनांक :..
12– रोजगार कार्यालय का नाम :..
13– क्या आप विवाहित है ? हाँ/नहीं :..
14– यदि विवाहित हो तो विवाह की तिथि :..
15– जीवित बच्चों की संख्या/जन्मतिथि :..
16– शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि–वि का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

17–कार्य अनुभव (यदि हो तो) प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र–	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल अवधि
1				
2				
3				

18–क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? ––––––––हाँ/नहीं
(यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
19–आवेदक स्वयं का मोबाईल नं– अंकित करें ....
(यदि ई–मेल आईडी हो तो दर्ज करें)
20–स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–..
1..2..
3..4..
5..6..
7..8..
9..10..

दिनॉक :–
स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर नाम
एवं पूरा पता

//घोषणा–पत्र//

मैं––––––––––––––––––––पति/पत्नी/पिता/अभिभावक सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद्द किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम सहित

आर.ओ.28/जी–242500516/3

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

(महिला एवं बाल विकास विभाग),
पुराना पुलिस मुख्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/364/मबावि/मि.वा./2024–25 रायपुर, दिनांक 13/06/24

// प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु ऑनलाईन प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 31.07.2024 //

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों बच्चों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन किया जाता रहा है।

इस वर्ष भी उक्त पुरस्कार हेतु दिनांक 31.07.2024 तक केवल ऑनलाईन माध्यम से आवेदन https://awards.gov.in में आमंत्रित किया जा सकता है। उक्तानुसार रायपुर जिला के सभी प्रतिभावान बच्चों व बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को प्रेरणा व प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पात्र 05 से 18 आयु के बच्चों को नामांकित किया जाए। विज्ञापन एवं उससे संबंधित दिशा–निर्देशों का अवलोकन कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जी. ई. रोड रायपुर के सूचना पटल पर कार्यालयीन समय एवं दिनांक 30.07.2024 तक किया जा सकता है।

(जिशा मिश्रा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.29/जी–242500523/3

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, छत्तीसगढ़

विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु)
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के समीप
सिविल लाईन, रायपुर छ.ग.

Email.specialofficeryp.gmail.com 0771-4044081

क्रमांक/विरोका/स्था/2024/78–1 रायपुर, दिनांक 24/06/2024

दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास एवं रोजगार मूलक डिजिटली प्लेटफार्म दिव्यांगजन रोजगार सेतु PM-DAKSH-DEPwD

दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास एवं रोजगार मूलक कार्यो हेतु डिजिटली प्लेटफार्म पर आधारित दिव्यांगजन रोजगार सेतु **PM-DAKSH-DEPwD** का निर्माण किया गया है। जिसके माध्यम से दिव्यांगजन विभिन्न निजी संगठनों में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर अवसरों का लाभ उठा सकते है। यह प्लेटफार्म दिव्यांगजनों एवं नियोजकों के बीच एक पूल (सेतु) के रूप में कार्य कर रहा है। यह प्लेटफार्म जियोटेग पर आधारित सूचनाएं जो रोजगार/आजीविकाओं के अवसर विभिन्न निजी कंपनियों में उपलब्ध रिक्तियां दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराता है। वर्तमान में लगभग तीन हजार से अधिक रिक्तियां है, जिसमें षिक्षित दिव्यांगजन अपनी दिव्यांगतावार रिक्तियों के विरूद्ध कार्य करना चाहते हैं, वे वेबसाइट **www.pmdaksh.depwd.gov.in** पर आवेदन कर सकते हैं।

उपसंचालक, रोजगार
विशेष रोजगार कार्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(छ.ग.शासन का एक उपक्रम) CIN- U40108CT2003SGC015820
कार्या०–कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.क. लिमि., रायपुर
ई–मेल पताः–hr.csptcl@espe.co.in टेलीफोन नंबर–0771–2574700

क्रमांक 01–01 / सीएसपीटीसीएल / अप्रेंटिसशिप / 23–24 / 3605 रायपुर, दिनांक 20 / 06 / 2024

अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986, 2014 – 2019) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड़ में वर्ष 2023–24 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को एक (01) वर्षीय (Apprenticeship) प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई हैः।

(1) ग्रेजुएट अप्रेन्टिस (Graduate Apprentice) :–Technical Stream

क्र.	विषय (संकाय)	रिक्त पद	अना	अपिव	अजा	अजजा	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
1	Electrical/EEE Engineering Graduate Apprentice	30	13	04	04	09	मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक उत्तीर्ण	रू.9000/– प्रतिमाह
2	Civil EngineeringGraduate Apprentice	05	02	01	00	02		
	योग	35	15	05	04	11		

(2) ग्रेजुएट अप्रेन्टिस (Graduate Apprentice) :–General Stream

क्र.	विषय (संकाय)	रिक्त पद	अना	अपिव	अजा	अजजा	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
1	General Stream Graduate Apprentice (Bachelor of Science)	25	11	03	03	08	मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में स्नातक उत्तीर्ण	रू.9000/– प्रतिमाह
	योग	25	11	03	03	08		

(3) टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (Technician Apprentice) :–

क्र.	विषय (संकाय)	रिक्त पद	अना	अपिव	अजा	अजजा	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षुवृत्ति की दर
1	Electrical/EEEEngineering Diploma Apprentice	10	04	02	01	03	मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में डिप्लोमा उत्तीर्ण	रू. 8000/– प्रतिमाह
2	CivilEngineering Diploma Apprentice	05	02	01	00	02		
	योग	15	06	03	01	05		

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

नियम एवं शर्तें :–

1. **चयन प्रकियाः–** प्राप्त आवेदन पत्रों में से उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा।
2. उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप मात्र एक (01) वर्ष की अवधि के लिए होगी। अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी / स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं होंगे।
3. जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके है / कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय, एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986, 2014&2019) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं की है। घोषणा–पत्र का प्रारूप Contract Registration Form में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष से तीन वर्ष हो तो उम्मीदवारों को स्व–शपथ पत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. अभ्यर्थियों को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) में अपना Registration करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा।
6. अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आवास, हॉस्टल अथवा अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रशिक्षण अवधि में आवास, आवागमन का व्यय अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे।
7. अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल कार्यालयीन समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
8. अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी के नियमानुसार 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
9. अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं के लिये चिकित्सा सुविधा जहां कंपनी के चिकित्सालय उपलब्ध है, मात्र वही प्रदान की जावेगी तथा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
10. अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अवधि में कार्य / व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
11. Where the contract of apprenticeship is terminated for failure on the part of the apprentice of carry out terms of contract, the apprentice shall refund to the employer as cost of training such as amount as may be determined by the apprenticeship advisor. In such event, the apprentice shall not be entitled to enter into another contract of apprenticeship under the act with any other employer.
12. घटना / दुर्घटना की स्थिति मे उन्हें कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
13. अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 01 वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया जावेगा।
14. आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य होगाः–
   a) 10वी एवं 12वी की अंक सूची की छायाप्रति। b) आधार कार्ड की छायाप्रति।
   c) पेन कार्ड की छायाप्रति। d) स्नातक / डिप्लोमा की अंक सूची / प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   e) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। f) स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। g) National Apprenticeship Training Scheme (NATS) का Registration Number। h) कंडिका 04 में उल्लेखित शपथ–पत्र।
15. आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.07.2024। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में (कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक) जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 19.07.2024 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. **आवेदन शुल्क :–** अप्रेंटिसशिप हेतु किये जाने वाला आवेदन निःशुल्क होगा।
17. आवेदन–पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित / जमा करें :–

   कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन),
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
   मुख्यालय कैम्पस, डंगनिया रायपुर, छत्तीसगढ़
   पिन–492 013
18. अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986, 2014 &2019) तथा समय–समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी।

कार्यपालक निदेशक (मा०सं०)
छ.ग.स्टे.पा. ट्रांस. कं. लिमि., रायपुर

क्रमशः

Placement Camp

Date 05.07.2024, Vanue- Distt Employment and self employment Guidance center Durg (C.G.)

	नियोजक का नाम	पद का नाम	पद संख्या	आयु	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव वर्षो में	वेतनमान	स्थान	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B.A.C.S. ENERGY Pvt. Ltd	Fitter	10	20+	ITI	2-5 Years	16-20K	Gujrat	12 Hours Job Accommodation provides by company
		Electrician	10	20+	ITI		16-20K		
		Labour	15	20+	8th	2-5	13-16K		
		Mason	20	20+	8th	2-5	16-20K		
		Carpenter	10	18+	10th	2-5	15-20K		
		Bar Bender	15	18+	10th	2-5	13-16K		
		Gas Cutter	10	20+	ITI 10th	2-5	15-20K		
		Structural welder	10	20+	10th ITI	2-5	15-20K		
		Fitter	15	20+	ITI	0-4	14000	Karnataka	
		Electrician	5	20+	ITI	0-4	14000		
		Helper	30	18+	10th	0-4	13000	Sangli (M.H)	
		Asst. Operator	10	20+	12th	0-4	13000		
		Grinder	15	20+	8th	2+	15-20K	Gujrat	
		Structural fitter	15	10+	ITI	2+	15_20K		
		Rigger	10	20+	8th	2+	13_18K		
		Store Officer	10	20+	Graduate	2+	14_18K		
		Trainee/ Executive (HR)	4	20+	MBA/ PGDM (HR)	5-10	1.80-2.40Lakh (Per Annum)	Bhilai/ Raipur	Good Communication skills
		Astt. Manager(HR)/ Dy. Manager (HR)	2 1	20+	MBA/ PGDM (HR)	5-10	3.60-4.50Lakh (Per Annum)		

Note - 1. All Technical Post will be only for male candidates.
2. Accommodation will be provided by company in Gujarat, Karnataka, Sangli Maharastra Except Trainee/ Executive (HR) Astt. Manager(HR)/ Dy. Manager (HR)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986, 2014 & 2019) के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में अप्रेन्टिसशिप हेतु आवेदन–पत्र

(आवेदन पत्र में सभी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में भरें। जो जानकारी लागू नहीं उसे काट दें)

प्रति,

कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन),
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
मुख्यालय कैम्पस, डंगनिया रायपुर, छत्तीसगढ़
पिन–492013

पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदित अप्रेन्टिसशिप ग्रेजुएट अप्रेंटिस / टेक्नीशियन अप्रेंटिस
2. (NATS) पंजीकरण संख्याः :..
3. ब्रॉच / ट्रेड :..
4. नाम (हिन्दी में) :..
(अंग्रेजी में) :..
5. पिता / पति का नाम :..
6. जन्म तिथि :..
(हाई स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न करें)दिनांक..............माह............वर्ष..............
शब्दों में
7. आयु 01.01.2024 को :..
8. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान :..
पता :..
9. स्थायी पता :..
10. राष्ट्रीयता :..
11. श्रेणी अनारक्षित / अ०जा० / अ०ज०जा० / अ०पि०व०
12. शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतम योग्यता से शुरू करें):..

क०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत

13. क्या आप विवाहित है (हां / नहीं) :..
14. फोन / मोबाइल नंबरः :..
15. ई–मेल पता :..:
16. संलग्नकों की सूची
(1)..................(2)..................(3)......................(4)...............(5)..................(6).....................

(आवेदक / आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं ....घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने पूर्व में अप्रेन्टिसशिप एक्ट, 1961 (as amended in 1973, 1986, 2014 & 2019) के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया / की हूँ। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द या निरस्त किया जा सकता है।

दिनांकः–
स्थानः–

(आवेदक / आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर)
(नाम..)

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लाक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd.cg@nic.in

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना 'मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State Hub for Empowerment of Women) स्थापित है। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र के 04 पदों पर एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 22.07.2024 तक आवेदन आमंत्रित है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन	प्रक्रिया
		UR	ST	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जेण्डर विशेषज्ञ	0	1	01	10	31450/–	सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन/ संविदा वेतन	45* वर्ष
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	1	01	09	27740/–		45* वर्ष
3	लेखा सहायक	1	0	01	07	20900/–		35* वर्ष
4	कार्यालय सहायक	1	0	01	06	18420/–		35* वर्ष

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में पद क्रमांक 1 एवं 2 पर सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा पद क्रमांक 3 एवं 4 पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आवेदन प्रप्रत्र तथा पद क्रमांक 1 से 4 तक के पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं, चयन हेतु आर्हता, मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु–सीमा, अनुभव, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण–www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है:– विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र डाक/कुरियर द्वारा दिनांक 22.07.2024 की संध्या 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–1, द्वितीय तल नया रायपुर 492002 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही प्रेषित किये जायें।

राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State HUB for Empowerment of Women) के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, अर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्ते :–

1. विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया
		UR	ST	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जेण्डर विशेषज्ञ	0	1	01	10	31450/–	सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन/ संविदा वेतन
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	1	01	09	27740/–	
3	लेखा सहायक	1	0	01	07	20900/–	
4	कार्यालय सहायक	1	0	01	06	18420/–	

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए. समाज शास्त्र एम.एस.डब्ल्यू., एम.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री)	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम.एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिंदी/अंग्रेजी) में कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 03 वर्ष का जेण्डर केन्द्रित विषय पर कार्यानुभव	• अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस/एस.पी.एस.एस. सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता	• महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यो का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट/पेपर प्रकाशन।
3	लेखा सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमे एम एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का संबंधित कार्यो का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
4	कार्यालय सहायक	किसी भी विषय में स्नातक के साथ कम्प्यूटर/आई.टी./संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• डाटा प्रबंधन / प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

  उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।

3. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण–

- यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद है, भारत शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि तक ही तथा निर्धारित संविदा (एकमुश्त) वेतन पर होंगे।
- पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण उपरोक्तानुसार विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 7 पर उल्लेखित एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता एवं मृत्यु लाभ इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय–समय पर) अनुसार ही देय होगी।

आयु सीमा

- आयु की गणना दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में की जाएगी।
- जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी मापदंड

- जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने

क्रमशः

पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

- लेखा सहायक एवं कार्यालय सहायक के पदों हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जायेंगे।

6. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (आयुक्त/संचालक) का निर्णय ही अंतिम होगा।
12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता / कार्यालय प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
15. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
16. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
17. उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
18. कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20.नियुक्ति की अवधि –

इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा/एकमुश्त वेतन पर 02 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तत्पश्चात् योजना संचालन की निरंतरता, कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अविध 01 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय आयुक्त/संचालक द्वारा लिया जाएगा। अन्यथा संविदा सेवा की अवधि की समाप्ति पर एवं न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।

- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही कोई स्वत्वों का भुगतान किया जाएगा।

21. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	चयन प्रक्रिया
1. जेंडर विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री • जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठनों में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। 2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 18 अंक। 3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदको को 02 बोनस अंक दिए जाएगे। 4. उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। 5. वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10–10 अंक होंगे। 6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
2.अनुसंधान एवं शिक्षण विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	
3. लेखा सहायक	• लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/ डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। • लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय /अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	
4. कार्यालय सहायक	• किसी भी विषय में स्नातक के साथ कम्प्यूटर/आई.टी./संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा • डाटा प्रबंधन/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय /गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	

22. समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार तालिका के चयन प्रक्रिया कॉलम के उप कंडिका 1. 2. 3 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियो में वॉक–इन–इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
23. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ स्वप्रमाणित/ सत्यापित वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
24. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
25. आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक /स्पीडपोस्ट/कोरियर द्वारा दिनांक 22.07.2024 की संध्या 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–1. द्वितीय तल नया रायपुर 492002 (छ०ग०) को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

क्रमशः

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

....

....

....

1. आवेदित पद का नाम :..................................
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :..................................
   (अंग्रेजी में) :..................................
3. पिता/पति का नाम :..................................
4. स्थायी पता :..................................
5. (पत्र व्यवहार का पता) :..................................
   ....दूरभाष/मोबाईल..............
6. जन्मतिथि (अंकों में) :..................................
   (शब्दों में) :..................................
7. दिनांक 01/01/2024 को आयु :..................................
8. लिंग पुरुष/महिला :..................................
9. जाति/वर्ग (अ.आ./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति...............वर्ग...................
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारीः :..................................
    संगठन जिसमें सेवारत है ?
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तताः..................................
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं ::..................................
    जीवित बच्चों की संख्या
13. शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची (सभी संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित रहें)
    1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
    2. 12वीं की अंकसूची
    3. स्नातक की अंकसूची
    4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
    5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण–पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
    6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण–पत्र
17. अन्य संलग्नकों का विवरण
    1...2...................................3...

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान.................................. **आवेदक के हस्ताक्षर**

तारीख..................................

आर.ओ.30/जी–242500565/3

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07751 220658 मेल–emrsgaurelapendermarwahi@gmail.com

क्रमांक/1541/प्रयास/प्रवेश/2024–25/गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 25/06/2024

प्रयास आवासीय आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं में Lateral Entry के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना (शैक्षणिक सत्र 2024–25)

प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित घोषित जिले एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय/अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु प्रारंभ से ही विशेष कोचिंग के माध्यम से तैयार कर सक्षम बनाया जाना है। इस प्रयास आवासीय विद्यालयों से प्रत्येक वर्ष काफी मात्रा में विद्यार्थी चयनित होकर उच्च संस्थाओं में प्रवेशित होते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में 09 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इस विद्यालयों के कक्षा 11वीं में विभिन्न जाति वर्ग समूह अंतर्गत 148 सीट रिक्त है। इस रिक्त सीटों पर प्रवेश एक प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं स्तर का होगा। परीक्षा में शामिल होने हेतु कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

प्रवेश के संबंध में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
1	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	21.06.2024
2	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	06.07.2024 (रात्रि 12:00 बजे तक)
3	3 ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार	07, 08 एवं 09.07.2024 तक (रात्रि 12:00 बजे तक)
4	प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा की तिथि	21.07.2024 दिन रविवार (प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक)
5	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक	https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail

उक्त संबंध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट https://eklavva.cg.nic.in एवं कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही से प्राप्त कर सकते हैं।

(डॉ. ललित शुक्ला)
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

आर.ओ.31/जी–242500620/3

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. 494334

वेबसाइट-www.gmckanker.in, Email-gmckanker@gmail.com

क्रमांक/1332/शाचिम/स्था./2024 कांकेर, दिनांक–20/06/2024

//शुद्धिपत्र//

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक /1233/शाचिम/स्था./2024 कांकेर, दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से विज्ञापन सूचना वॉक–इन–इन्टरव्यू द्वारा दंतरोग विभाग में सह–प्राध्यापक एक पद जारी किया गया था। उक्त विभाग के विज्ञप्ति सह–प्राध्यापक पद को आगामी आदेश तक विलोपित की जाती है।

रिक्त पदों की संशोधित सूची महाविद्यालय के वेबसाईट www.gmckanker.in एवं सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है।

टीपः– विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

अधिष्ठाता
स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

आर.ओ.32/जी–242500617/4

आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

आकांक्षा आवासीय कोचिंग संस्थान में सत्र 2024–25 में राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेश की सूचना।

आकांक्षा कार्यक्रम जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत वर्ष 2023–24 में विषय गणित एवं विज्ञान के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में की निःशुल्क तैयारी हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि – 26.06.2024
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 06.07.2024
लिखित परीक्षा आयोजित होने की तिथि – 07.07.2024
कक्षा प्रारंभ होने की तिथि – 10.07.2024
लिखित परीक्षा का आयोजित होने का स्थान – आकांक्षा आवासीय परिसर जांजगीर
आवेदन पत्र जमा करने का स्थान – आकांक्षा आवासीय विद्यालय जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा

(आवेदन पत्र केवल कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन अवधि 10.00 से 5.30 बजे तक ही जमा किया जा सकेगा)

क्र.	कोर्स का नाम	कुल सीट	बालक	बालिका
1	मेडिकल	10	03	07
2	इंजीनियरिंग	20	07	13
	योगः–	30	10	20

आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी के लिए जांजगीर चांपा जिले के वेबसाईट www.janjgirchampa.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है एवं आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा से भी संपर्क कर सकते हैं।

मेडिकल/इंजीनियरिंग

'आकांक्षा' कार्यक्रम अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (सत्र 2024–25 के लिए)

नवीनतम फोटोग्राफ (छात्र)/छात्रा

1. छात्र का नाम :–..................................
2. पिता का नाम :–..................................
3. माता का नाम :–..................................
4. जन्मतिथि :–..............शब्दों में....................
5. छात्र का आधार नंबर :–..................................
6. छात्र का मोबाईल नंबर :–..................................
   (छायाप्रति संलग्न करें)
7. वर्ग (अजा/अजजा/अपिव/सा.) :–..................................
   (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पिता का व्यवसाय :–..................................
9. स्थायी पता :–..................................
10. पत्र व्यवहार का पता :–..................................
11. पालक का व्हाट्सअप नंबर :–..................................
12. पालक का मोबाईल नंबर :–..................................
13. ई–मेल आईडी (यदि है तो) :–..................................
14. पालक का आधार नंबर :–..................................
15. स्थानीय अभिभावक का नाम :–..................................
16. छात्र से संबंध :–..................................
17. स्थानीय अभिभावक का पता :–..................................
18. व्यवसाय :–..................................
19. आधार नंबर :–..................................
20. व्हाट्सअप नंबर :–..................................
21. मोबाइल नंबर :–..................................

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन कर उल्लंघन किया जाता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

पालक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या छात्र किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

पालक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

पालक का हस्ताक्षर
पालक का नाम..............
छात्र से संबंध..............

स्थानीय अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं श्री..............के पुत्र/पुत्री..............का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी।

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

0020 स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर
नाम..................................

राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु छात्र/छात्राओं के लिए सामान्य अनुदेश वर्ष 2024–25

1. यह कोचिंग कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है।
2. **कोचिंग की अवधिः–** यह कोचिंग 01 वर्ष के लिए अथवा प्रतियोगी परीक्षा के होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी।
3. **कोचिंग का स्थानः–**जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा संचालित आकांक्षा आवासीय विद्यालय जांजगीर में कोचिंग संपन्न कराई जावेगी।
4. **निर्धारित सीटें:–** इसमें मेडिकल के लिए 10 एवं इंजीनियरिंग के लिए 20 सीटें निर्धारित है।
5. **शैक्षणिक योग्यता** (1) शिक्षा सत्र 2023–24 (मई 2024 में जारी परिणाम) में गणित
   अथवा
   जीव विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण।
   (2) जेईई (JEE) परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं में भौतिक, रसायन एवं गणित विषय में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थी कम से कम 75 प्रतिशत अकों के साथ एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी 65 प्रतिशत अंको के साथ 12वीं उत्तीर्ण हुआ हो।
   (3) नीट (NEET) परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं में भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी कम से कम 75 प्रतिशत अकों के साथ एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी 65 प्रतिशत अंको के साथ 12वीं उत्तीर्ण हुआ हो।
6. **कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति** जिला प्रशासन द्वारा छात्र/छात्राओं को कोचिंग, आवास, भोजन, प्रारंभिक चिकित्सा, पुस्तकें आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
7. **चयन प्रक्रियाः–** आवेदन की संख्या अधिक होने पर प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की जावेगी।
   प्राक्चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी।
8. छात्र/छात्राओं द्वारा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में आकांक्षा आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. **आवेदन जमा करना** कोचिंग के इच्छुक छात्र/छात्रायें अपना आवेदन पत्र **आकांक्षा आवासीय विद्यालय,** जांजगीर में कार्यालयीन समयावधि में जमा कर सकते हैं।

डिप्टी कलेक्टर
एवं नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम

श्री अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जावंगा जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

ईमेलः–principal.iti.geedam@gmail.com

क्रमांक / औप्रसं / स्था / मे.प्र.भर्ती / 2024 / 634 गीदम दिनांक 20.06.2024

/ /संशोधित विज्ञापन/ /

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0–4, प्रथमतल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश कमॉक संसंप्र / क्षेका / स्था / मे.प्र. / 2024 / 257 / जगदलपुर दिनांक 13.03.2024 के अनुपालन में जिला दन्तेवाड़ा नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम व औप्रसं कुऑकोण्डा में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों / विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2023–24 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु विज्ञप्ति आवेदन दिनांक 14.03.2024 से आमंत्रित किया गया था। किन्तु लोकसभा निर्वाचन 2024 के कारण जिले में आदर्श आचार संहिता लगने से भर्ती चयन प्रक्रिया रूकी हुई थी अतः उक्त विज्ञापन में संशोधन करते हुए दिनांक 20.06.2024 से 05.07.2024 तक पुनः आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला द०ब० दन्तेवाड़ा छ०ग० 494441 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.07.2024 को सायं 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :–

टीपः– जो आवेदक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

1. पदों की जानकारीः–

क0	व्यवसाय / विषय का नाम	औप्रसं गीदम	औप्रासन कुऑकोंडा	कुल पद
01	कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)	01	01	02
महायोग		01	01	02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र0	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	आईटीआई गीदम	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुरानी पद्धति से ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डी.ओ.ई. (**DOEACC**) से "ए" स्तर का प्रमाण– पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी .सी.ए. / पी.जी.डी.सी.ए. 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई. / सी.टी.आई उत्तीर्ण हो को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
		आईटीआई कुऑकोण्डा	01	
कुल पद			02	

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :–

(क) ए.टी.आई. / सी.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता हैं तो उसका चयन निरस्त माना जा कर प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को नियमानुसार अवसर दिया जावेगा। इसी कम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेंगा।

(घ) आवेदक के पास किसी व्यवसाय / विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र / इंजीनियरिंग में उपाधि / इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण–पत्र / अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

नियम एवं शर्तें

1. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों की भली भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में सूचना नहीं दी जाएगी।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई / एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई / सीटी आई के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई / एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
4. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोष जनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
5. शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पद स्थापना किय जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
8. पृथक–पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा।
9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140 / –(एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रतिकार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000 / – रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
10. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय / विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तक अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
13. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 05.07.2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा

क्रमशः

इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

14. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2024 स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण–पत्रों जैसे– शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण–पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
16. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल कमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी कम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
17. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाइल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू० पी० एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

स्व प्रमाणित फोटो

प्राचार्य / नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ०ग०)

विषय :– मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।
महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :–
आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम
आवेदित संस्था का नाम
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)

1. आवेदक का नाम :.......................................
2. पिता/पति का नाम :.......................................
3. माता का नाम :.......................................
4. जाति.................................वर्ग :.......................................
5. जन्मतिथि (अंको में) :.......................................
   (शब्दों में) :.......................................
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
7. दूरभाष/मोबाइल नंबर
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ/नहीं)
11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरणः–

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/आई.टी.आई	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीप :– प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावें।

12. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :–
1..2..
3..4..
5..6..

(आवेदक के हस्ताक्षर)

// शपथ–पत्र //

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :–

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण–पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान — पूरा नाम...........
दिनांक — पत्र व्यवहार का पता................
मोबाइल नम्बर............................

आर.ओ.33/जी–202406204/5

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर

फ़ोन 0771–2262178, वेबसाइटः–www.sportsyw.cg.gov.in
ई–मेलः dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक/पुरस्कार–71/2024–25/503 — रायपुर दिनांक 27/06/2024

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु आवेदन आमंत्रित करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों से दिनांक 30.06.2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

2. उक्त तिथि में दिनांक 10 जुलाई 2024 तक की बढ़ोत्तरी की जाती है।
3. जिला कार्यालय/संचालनालय में राज्य खेल संघों से अनुसंशा सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है। खिलाड़ी को पृथक–पृथक वर्षों के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रों का प्रारूप मय सूचना विभाग की वेबसाईट http//:sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(तनुजा सलाम) संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.34/जी–242500672/3

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 4 साल का टूटा रिकार्ड, प्रदेश को मिला लक्ष्य से अधिक काम

मनरेगा से बदली छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जिंदगी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत 4 साल का रिकार्ड टूटा है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा न सिर्फ मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है बल्कि उनके जीवन में व्यापक बदलाव भी ला रहा है। छ त्तीसगढ़ में मनरेगा न सिर्फ मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है बल्कि उनके जीवन में व्यापक बदलाव भी ला रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल में 2 करोड़ 57 लाख तथा माह मई में 3 करोड़ 15 लाख रोजगार सृजित हुआ। इस प्रकार मई तक 5 करोड़ 82 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन कर विगत चार वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल और मई में हुए सृजित मानव दिवस का आंकड़ा प्राप्त कर नई उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मई माह तक 4 करोड़ 81 लाख, वर्ष 2022-23 में मई माह तक 1 करोड़ 19 लाख, वर्ष 2023-24 में मई माह तक 4 करोड़ 49 लाख तथा 2024-25 में मई माह तक 5 करोड़ 72 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। मनरेगा अंतर्गत विगत 6 माह में 10 करोड़ 93 लाख मानव दिवस सृजित हुआ वहीं 1 लाख 73 हजार निर्माण कार्य पूर्ण हुए।

लक्ष्य से अधिक मिला काम

छत्तीसगढ़ में पंजीकृत श्रमिकों को 150 दिनों का काम दिया जाता है। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत 7846883 श्रमिक हैं, जिसमें से 6093061 सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ मानव दिवस उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इसे पूरा करते हुए 11 करोड़ 73 लाख से अधिक मानव दिवस उपलब्ध कराया गया है।

अमृत सरोवर : 59 हजार को मिला रोजगार

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आजीविका संवर्धन एवं रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। अमृत सरोवर के निर्माण में प्रतिदिन लगभग 59 हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जो देशभर में सर्वाधिक है। अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में प्रदेश के कार्यों का केंद्र स्तर पर सराहना की गई है। आगामी चार वर्षों में 8966 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

78,04,714	61,02,763	25,50,50,151	13,07,21,694
छत्तीसगढ़ में पंजीकृत मजदूर	छत्तीसगढ़ में कार्यरत मजदूर	देश में पंजीकृत मजदूर	देश में कार्यरत मजदूर

महिला सशक्तीकरण की दिशा में पहल

महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी कार्य करते हुए महिलाओं को मनरेगा के तहत समान रोजगार के अवसर एवं लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व भत्ता का लाभ भी दिया जा रहा है। 50 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं को भत्ते के रूप में एक माह की मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है। प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत एक जनवरी 2023 से काम करने वाले मजदूरों की डिजिटल हाजिरी लगाई जा रही है। केंद्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए कार्यस्थल पर मोबाइल एप नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इस योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी को छूट प्रदान की गई है। मनरेगा के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले श्रमिकों को उन्नति योजना कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे रोजगार शुरू कर सकें। इसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती और कैंडल बनाने समेत 56 तरह के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना वर्ष-2018 से संचालित हैं। अब तक 10,071 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,000 का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। अब तक 5,614 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।

छग में वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के मुताबिक उपलब्ध कराए गए कार्यदिवस (लाख में)

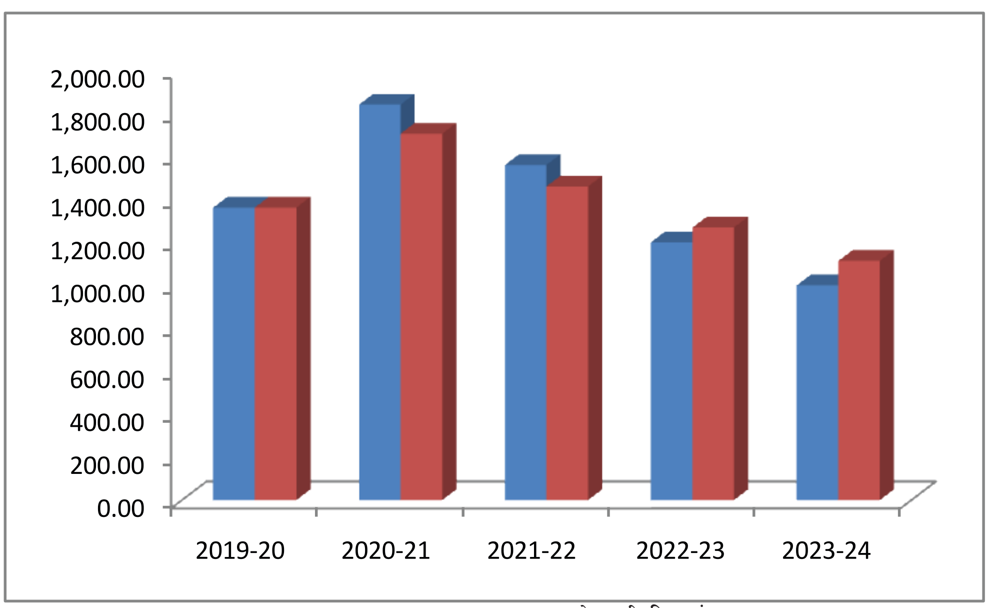

स्त्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

मनरेगा से रोजगार की गारंटी...

मनरेगा भारत के हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पात्र परिवारों को न्यूनतम स्तर का रोजगार मिले।

▪ ग्रामीण विकास पर ध्यान
मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम जल संरक्षण संरचनाओं, ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देता है।

▪ समावेशी और मांग-संचालित
मनरेगा को मांग-संचालित बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि ग्रामीण समुदाय की व्यक्त मांग के जवाब में रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। लाभार्थियों को काम की मांग करने का अधिकार है और सरकार ऐसी मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

▪ महिलाओं की भागीदारी
मनरेगा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। लाभार्थियों में से एक तिहाई महिलाएं हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कम से कम 50% कर्मचारी महिलाएं हों।

▪ पारदर्शिता और जवाबदेही
मनरेगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता पर जोर देता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने और स्थानीय समुदायों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सामाजिक ऑडिट किए जाते हैं।

हरियाली का उत्सव 'वन महोत्सव'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूरे राज्य में वन महोत्सव मनाए जाने की अपील करते हुए सबकी भागीदारी सुनिश्चित का आह्वान किया है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र तथा दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। पेड़ों के इसी महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है।

मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेवच।
पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम् वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते।।

भावार्थ-जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी तने पर श्री हरि विष्णु जी एवं शाखाओं पर देव आदि देव महादेव भगवान शंकर जी का निवास है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में हरियाली बढ़ाने एवं वन संवर्धन के लिए राज्य में इस वर्ष वर्षा ऋतु में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृहद पैमाने पर 3 करोड़ 93 लाख 28 हजार पौधों के रोपण एवं वितरण का कार्य किया जाएगा। विभागीय योजनांतर्गत 3927 हेक्टेयर तथा 57 किलोमीटर में 38 लाख 68 हजार पौधे, मनरेगा योजना के अंतर्गत 11 किलोमीटर में 4 हजार 900 पौधे, कैम्पा मद के अंतर्गत 2251 हेक्टेयर में 19 लाख 18 हजार पौधे तथा अन्य योजनांतर्गत 238 हेक्टेयर में 8 लाख 63 हजार पौधों के रोपण से राज्य हरीतिमा से आच्छादित होगा। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है।

वन महोत्सव

वन महोत्सव एक सप्ताह का वृक्षारोपण उत्सव है जो जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह पारंपरिक आयोजन है जो प्रकृति की सुंदरता के बारे में जागरुकता पैदा करता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र तथा दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। इस त्यौहार को मनाना सीधे तौर पर भारत और दुनियाभर की हरियाली को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने से जुड़ा है।

वन महोत्सव का इतिहास

भारतीय राष्ट्रीय वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन पंजाबी वनस्पतिशास्त्री एमएस रंधावा ने 20 से 27 जुलाई 1947 तक किया था। रंधावा को विभिन्न देशों में वन सप्ताह, वृक्षों के त्यौहार या आर्बर डे के विचारों से प्रेरणा मिली थी। खुर्शीद अहमद खान जो उस समय दिल्ली के पुलिस आयुक्त थे, ने 20 जुलाई 1947 को इस कार्यक्रम के उद्घाटन में भाग लिया था।

वन महोत्सव जुलाई में ही क्यों

दरअसल भारत में मानसून आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है। इस अवधि के दौरान लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर अन्य महीनों के दौरान लगाए गए पौधों की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि वन महोत्सव हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है।

राज्य के आदिवासी वनों पर आश्रित

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

59,772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र

43.29 प्रतिशत आरक्षित वन

40.21 प्रतिशत संरक्षित वन

किसान वृक्ष मित्र योजना

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर विभाग द्वारा अनूठी पहल करते हुए किसान वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत हितग्राहियों की निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण, आई.टी.सी. आधारित पेपर मिल, सहयोगी संस्था, निजी कम्पनियों की सहभागिता की स्थिति में उक्त प्रजातियों के वृक्षों की वापस खरीद सुनिश्चित करना है। राज्य में किसान वृक्ष मित्र योजनांतर्गत कुल 28 हजार 921 कृषकों की निजी भूमि पर 43 हजार 423 एकड़ रकबा में 2 करोड़ 77 लाख 66 हजार 611 पौधों का रोपण किया जाएगा जिसमें से प्रदेश में 29 हजार 51 एकड़ क्षेत्र में 2 लाख 30 क्लोनल नीलगिरी एवं 367 एकड़ क्षेत्र में 1 लाख 54 हजार 973 टिश्यू कल्चर बांस एवं 390 एकड़ में 2 लाख 37 हजार 798 साधारण बांस, 4073 एकड़ में 9 लाख 82 हजार 207 टिश्यू कल्चर सागौन, 7944 एकड़ में 29 लाख 12 हजार 474 साधारण सागौन, 1090 एकड़ में 1 लाख 73 हजार 165 चन्दन पौधे और 385 एकड़ में 1 लाख 58 हजार 667 मिलिया डूबिया पौधों का रोपण किया जाएगा।

कैम्पा का गठन

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में आवेदक संस्थानों से वसूल की गई राशि के समुचित उपयोग हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई 2009 को कैम्पा गाइडलाइन जारी की गई तथा राष्ट्रीय स्तर पर एड़हॉक कैम्पा का गठन किया गया। कैम्पा गाइडलाइन के9 अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 24 जुलाई 2009 को

कैम्पा के प्रमुख कार्य

1. सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन
2. वृक्षारोपण
3. वनों में वनवर्धन संबंधी कार्यकलाप
4. रोपणों और वनों का संरक्षण
5. वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्रण
6. वनों में भू-जल संरक्षण संबंधी कार्य
7. संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र बसाया जाना
8. वनक्षेत्रों में अग्नि निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

-किशन लाल

वन्यप्राणियों के लिए फलदार पौधे

इस वृहद वृक्षारोपण अंतर्गत 28 लाख 51 हजार फलदार पौधे, जिसमें आम, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बादाम, बेर, तेंदू, गंगा इमली आदि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे वन्यप्राणियों को सुलभता से आहार प्राप्त हो सके तथा वन्यप्राणी एवं मानव-द्वंद्व पर नियंत्रण किया जा सके। इसी क्रम में 49 लाख 36 हजार लघु वनोपज एवं वनौषधि पौधे जैसे पुत्राजीवा, काला सिरस, सिंदूरी, गरूड़, रीठा, चित्राक, एलोविरा, गिलोय, अडूसा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, छोटा करोंदा आदि प्रजाति तथा 24 लाख 71 हजार बांस के पौधों का रोपण एवं वितरण किया जाएगा, जिससे वनों पर आश्रित आदिवासियों एवं आमजनों को इससे सुलभ रोजगार उपलब्ध हो सके।

नदियों के किनारे वृक्षारोपण

नदी तट रोपण के तहत विगत वर्षों की भांति आगामी वर्षाऋतु में भी प्रदेश की हसदेव, महानदी, कुशमाहा, सासू, तेतरिया, बाकी, बोडा झरिया, चनान, रेड़, कोखवा, कन्हर, बनास, जमाड़ नदियों के तटों पर 534 हेक्टेयर रकबा में लगभग 5 लाख 87 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा, जो मृदा कटाव को रोकेगा, साथ ही छायादार, फलदार एवं अन्य बहुद्देश्यों की पूर्ति भी स्थानीय नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप करेगा।

सड़क किनारे वृक्षारोपण

प्रदेश के मार्गों के किनारे हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से सड़क किनारे वृक्षारोपण अंतर्गत 121 किलोमीटर लम्बाई में 72 हजार 100 पौधों का रोपण किया जाएगा। यह वृहद वृक्षारोपण न सिर्फ वनक्षेत्र के अंदर होंगे अपितु वनक्षेत्र के बाहर निजी एवं शासकीय भूमियों जैसे-आंगनबाड़ी, पुलिस चौकी, उद्यान, अस्पताल, श्मशान, शासकीय परिसर आदि स्थानों में भी किया जाएगा।

आरक्षित वन और संरक्षित वन

आरक्षित वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है आरक्षित वनों को उनमें मौजूद प्रचुर संसाधनों की रक्षा के लिए संरक्षित किया जाता है। आरक्षित वन अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं क्योंकि अधिकतर वनों और वन्यप्राणियों का संरक्षण इनसे संबंधित होता है ।

संरक्षित वन में सरकार का केवल संपत्ति का अधिकार होता है। संरक्षित वनों को प्राकृतिक संसाधनों की कमी से बचाने के लिए घोषित किया जाता है।संरक्षित वनों की भूमि को और निम्नीकरण होने से रोका जाता है, और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है

वन महोत्सव

आओ कुछ ऐसा करें, काम जगत कल्याण।
"सुषमा"सुंदर हो धरा, बचा सकें हम प्राण।।
धरती माता की करें, वृक्ष लगा श्रृंगार।
पत्र पुष्प अरु संपदा, देती है उपहार।।
नीम खड़ा है कह रहा, सुनो ध्यान दे कान।
बरगद की छाया भली, पीपल देता ज्ञान।।
वन उपवन लगते भले, देते फूल तमाम।
पेड़ों की रक्षा करें, औषधि आते काम।।

सुषमा प्रेम पटेल

छत्तीसगढ़

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दसवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन-शैली के लिए नियमित योगाभ्यास करने का संदेश लोगों को दिया। श्री साय ने कहा कि योग मूल रूप से शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इससे शारीरिक शक्ति के साथ हमें सकारात्मकता और आंतरिक भावनात्मक मजबूती भी मिलती है। योग स्वस्थ, तनावमुक्त और अनुशासित जीवन जीने की एक शैली है

सीजी बोर्ड में पूरक की जगह द्वितीय मुख्य परीक्षा

सीजी बोर्ड के तहत 10वीं-12वीं में अब पूरक परीक्षा नहीं होगी। इसके जगह द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल से निर्देश जारी किए गए हैं। पहली बोर्ड परीक्षा मार्च में हुई थी, इसमें 6 लाख छात्र शामिल हुए थे।

'वित्तीय शिक्षा पुस्तिका' का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वित्तीय जागरुकता के लिए काम कर रहे एनजीओ 'समर्पित' की "वित्तीय शिक्षा पुस्तिका" का विमोचन किया। यह संस्था आम लोगों में वित्तीय जागरुकता लाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम चला रही है ताकि डिजिटल लेनदेन में लोग सावधानी बरतें और बैंकिंग फ्रॉड से बच सके। यह कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, पंचायत, महिला समूहों और किसानों के बीच वर्कशॉप आयोजित कर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके कार्यों की प्रशंसा की।

25 हजार लोगों को किया जायेगा साक्षर

राज्य शासन के निर्देशानुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 25 हजार लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण हिमांशु भारती ने अंतर्विभागीय अधिकारियों की बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि आज की स्थिति में शिक्षार्थियों का 69.7 प्रतिशत एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का 59.9 प्रतिशत सर्वे एवं उल्लास एप में उनकी प्रविष्टि की जा चुकी है। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानपाठकों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, मितानीन एवं स्व सहायता महिला समूह के संयुक्त प्रयास से यह कार्य किया जा रहा है । इसके बाद ही स्वयंसेवी शिक्षक विद्यालय,आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन तथा रंगमंच में शिक्षार्थी के सुविधाजनक स्थान व समय के अनुसार 200 घंटे का अध्यापन कार्य करके, उन्हें इस योग्य बनायेंगे कि वे माह सितम्बर 2024 की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आंकलन परीक्षा में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त कर सके।

स्कूलों में मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव

छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरूआत 26 जून से शुरू हुई। जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नए सत्र के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूली बच्चों को शुभकामनाएं दी। राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों में जा कर नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर व लड्डू खिलाकर शाला प्रवेश कराया। साथ ही बच्चों को पढ़ाई में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का वितरण भी किया।

राष्ट्रीय

800 साल बाद लौटा नालंदा कैंपस का गौरव

भारत के ज्ञान का केंद्र रहा नालंदा फिर खड़ा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में नए नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ 17 देशों के राजनयिक भी थे। करीब 800 साल पहले आक्रमणकारियों ने पुराने कैंपस को नष्ट कर दिया था। अब 1,749 करोड़ रु. से 455 एकड़ में नया कैंपस बनाया गया है।

नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू

देशभर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इनके लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकों को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को और मजबूत बनाता है।

वायुसेना ने किया सेमिनार का आयोजन

भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली के वायुसेना सभागार में तीसरे 'युद्ध और एयरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के तत्वावधान में "भारत की सामरिक संस्कृति और समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता" विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। डब्ल्यूएएसपी 15 सप्ताह की अवधि का एक रणनीतिक शिक्षा कार्यक्रम है, जिसे 2022 में प्रतिभागियों को भू-राजनीति, शानदार रणनीति और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति की गहरी समझ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसका व्यापक उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण विचारकों को पोषित करना है, जो रणनीतिक स्तर पर नीति-संचालन विचारों की रचना करने में अंतरक्षेत्रीय ज्ञान को मिश्रित कर सकें।

भारत की बढ़ेगी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विश्वास जताया है कि अगले पांच वर्षों में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 70 प्रतिशत बढ़ जाएगी। उन्होंने नई दिल्ली में परमाणु ऊर्जा विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक में यह बात कही। डॉ.सिंह ने परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने पहले से संचालित परियोजनाओं का भी जायजा लिया और आगामी योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश दिए।

ट्राई ने एक्सेस प्रदाताओं के लिए जारी किए निर्देश

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनपेक्षित वाणिज्य संचार की समस्या में कमी लाने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि यूसीसी शिकायत पंजीकरण और प्राथमिकता प्रबंधन के विकल्प मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध हों। ट्राई का कहना है कि अगर उपभोक्ता अपने कॉल लॉग और अन्य संबंधित डेटा की पहुंच की अनुमति देते हैं तो शिकायतों के पंजीकरण के आवश्यक विवरण स्वचालित रूप से भरे जाने चाहिए। ट्राई का कहना है कि अधिक विस्तृत निगरानी के लिए सभी एक्सेस प्रदाताओं को पिछले त्रैमासिक रिपोर्टिंग चक्र के आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्रारूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

दूरसंचार लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरु

केंद्र ने दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने और सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए दूरसंचार सेवाओं के लिए 96 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न बैंडों में नीलाम किए जा रहे स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा 10 हजार 522.35 मेगाहर्ट्ज है। इस नीलामी के माध्यम से लिये जाने वाले स्पेक्ट्रम को कम से कम 10 वर्ष की अवधि के बाद ही वापस किया जा सकता है।

सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का सफल ट्रायल

भारतीय रेलवे ने जम्मू-कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन के साथ सफल ट्रायल किया गया। यह पुल चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है। यह पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। इस लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी।

खुफिया विभाग प्रमुख को 1 वर्ष का सेवा विस्तार

खुफिया विभाग के प्रमुख तपन कुमार डेका को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने औपचारिक रूप से इस विस्तार को मंजूरी दी है। तपन कुमार डेका हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे अनुभवी अधिकारी भरत लाल को भी एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। दोनों अधिकारियों का कार्यकाल इस महीने की 30 जून को समाप्त हो रहा है।

साहित्य अकादमी 2024 : 23 युवा , 24 बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा

साहित्य अकादमी ने 2024 के प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार व बाल पुरस्कार की घोषणा की। गौरव पांडेय को युवा पुरस्कार और देवेंद्र कुमार को बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल ने बैठक में 23 युवा लेखकों की पुस्तकों और 24 बाल साहित्यकारों के लिए पुरस्कार 2024 को मंजूरी दी। दोनों पुरस्कारों के लिए ताम्रपत्र और 50 हजार रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। अकादमी ने कहा कि संस्कृत में युवा पुरस्कार के विजेता की घोषणा बाद में की जाएगी। के. वैशाली को उनके संस्मरण "होमलेसः ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया" के लिए सम्मानित किया जाएगा, जबकि गौरव पांडे को उनके कविता संग्रह "स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी" के लिए पुरस्कार मिला। युवा पुरस्कार 10 कविता पुस्तकों, सात लघु कथाओं के संग्रह, दो लेख और एक निबंध संग्रह, एक उपन्यास, एक गजल पुस्तक और एक संस्मरण के लिए दिया गया है।

ओम बिरला फिर से चुने गए लोकसभा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। कांग्रेस ने इस पद के लिए के. सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव पेश किया था।

भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनीं अनामिका

भारतीय नौसेना की पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी. राजीव ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अनामिका भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स प्राप्त किए। सब लेफ्टिनेंट अनामिका नौसेना में सी किंग्स, एचएएल ध्रुव, चेतक और एमएच-60 सीहॉक्स जैसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर उड़ायेंगी। पूर्वी नौसेना की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने अनामिका को गोल्डन विंग्स से सम्मानित करते हुए कहा कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका ने पहली महिला नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में स्नातक करके इतिहास रचा है।

अंतरराष्ट्रीय

चीन का चंद्रयान चंद्रमा से नमूने लेकर लौटा

चीन का चंद्रयान चांग ई-6 चंद्रमा की सतह से लिए गए रेत और पत्थर जैसे नमूनों के साथ धरती पर लौट आया। नमूनों से चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और जानकारियां मिलेंगी। अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के लिहाज से चीन की यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि चांग ई-6 चांद के दूरस्थ क्षेत्र से नमूने लेकर लौटा है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सीएनएसए) ने बताया कि वापसी वाला कैप्सूल उत्तरी चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के सिजिवांग बैनर में निर्धारित क्षेत्र में लौटा। चीन का यह यान चंद्रमा के सुदूर भाग तक पहुंचने और वहां से नमूने एकत्र करने वाला पहला यान है। चीन दुनिया का अकेला देश है, जिसने चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर यान उतारा है। दूरस्थ हिस्सा उसे कहा जाता है, जो हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। चीन की भविष्य में चंद्रमा पर एक चंद्र स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है।

रोज 2000 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है

वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया में हर रोज 2000 बच्चों की मौत हो रही है। अमेरिका की हेल्थ अफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, कुपोषण के बाद वायु प्रदूषण दुनिया भर में 5 साल की उम्र से छोटे बच्चों के मरने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। बच्चों के आसपास गंदगी और पीने के साफ पानी का अभाव बच्चों के लिए और भी ज्यादा घातक हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021 में दुनियाभर में 80 लाख बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। इनमें से 2.37 लाख बच्चों की मौत भारत में हुई थी, जबकि पाकिस्तान में 68000, चीन में 125000, और बांग्लादेश में 15 हजार बच्चों की मौत हुई।

वर्ष 2050 तक बनेगी स्पेस एलिवेटर

दुनिया के सबसे ऊंचे टॉवर टोक्यो स्काईट्री का निर्माण करने वाली जापानी कंपनी ओबायाशी कॉपोरेशन अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली लिफ्ट बनाने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2050 तक स्पेस एलिवेटर बनाने का है। यह स्पेस एलिवेटर धरती से अंतरिक्ष के लिए बनाई जाने वाली एक लिफ्ट है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि स्पेस एलिवेटर बनने से 3 से 4 महीने या 40 दिन में मंगल ग्रह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर काम वर्ष 2025 से शुरू होगा, इस प्रोजेक्ट की लागत 8.43 लाख करोड़ अनुमानित है। इस स्पेस एलिवेटर के बन जाने से अंतरिक्ष जाने की लागत काफी कम हो जाएगी।

नाटो के अगले महासचिव होंगे मार्क रट

उत्तर अटलांटिक परिषद ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अगले महासचिव के रूप में निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रट को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नाटो ने एक वक्तव्य में कहा कि मार्क रट नाटो के महासचिव के रूप में पहली अक्टूबर से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इओहन्निस ने 19 जून को नाटो के महासचिव बनाए जाने की दौड़ से अपना नाम वापस लेने की आधिकारिक घोषणा की। इस कारण मार्क रट को सभी 32 सदस्य देशों का समर्थन मिल गया।

विकीलीक्स का संस्थापक जूलियन असांजे रिहा

विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरीकी रक्षा विभाग से संबंधित गुप्त दस्तावेज हासिल करने और उनका खुलासा करने के षड्यंत्र के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद अब रिहा कर दिया गया है। अमरीका में उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह के सेपियन न्यायालय में असांजे के मामले की सुनवाई हुई। अमरीकी न्यायालय ने ब्रिटेन की जेल में 62 महीने की उनकी कैद को सजा के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें सजा सुनाते हुए न्यायाधीश मैंगलोना ने कहा कि अमरीका की सरकार 2010 के विकीलीक्स जासूसी मामले में असांजे के विरुद्ध आगे मुकदमा नहीं चलाने के लिए राजी हो गई है।

कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से भी कम

दुनियाभर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला सरकार में प्रमुख पद पर कार्यरत नहीं रही है और केवल 26 देशों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिला राजनीतिक नेताओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र महिला के वैश्विक आंकड़े 2024 के अनुसार महिलाओं को अभी भी बड़े पैमाने पर सत्ता और कूटनीति संबंधित पदों से बाहर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि केवल 23 प्रतिशत मंत्री पद महिलाओं के पास हैं और 1 जनवरी 2024 तक 141 देशों में कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से भी कम है। सात देशों के मंत्रिमंडल में किसी भी महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है।

दुबई आर्ट सेंटर में भारतीय लोककला की धूम

दुबई के सबसे पुराने कला संस्थान दुबई आर्ट सेंटर में इन दिनों भारतीय लोक और जनजातीय कला की मनमोहक प्रदर्शनी चल रही है। हुनर नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत की विभिन्न लोक कलाओं और जनजातीय कला विधाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में उत्तराखंड की कला, बिहार की मधुबनी कला और महाराष्ट्र की वरली कला की विभिन्न शैलियां देख सकते हैं। हुनर प्रदर्शनी दुबई के कलाप्रेमियों के लिए भारत की लोक और जनजातीय कला का साक्षात्कार करने और भारत की कला विरासत का अनुभव लेने का अनूठा अवसर है।

बोलीविया में सैनिक विद्रोह नाकाम

बोलीविया में नाकाम विद्रोह के कुछ घंटों बाद ही देश की सशस्त्र सेनाएं में राष्ट्रपति भवन से वापस लौट गईं। बोलीविया की पुलिस ने नाकाम विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सैनिक कमांडर जनरल जुवान जोज जुनीगा को गिरफ्तार कर लिया। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से ने सैनिक विद्रोह की कोशिश की निंदा करते हुए देशवासियों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। इससे पहले विद्रोही जनरल जुवान जोज जुनीगा की अगुवाई में सैनिकों ने मौरीलो में मार्च करते हुए सरकारी मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। सशस्त्र सैनिकों की मौजूदगी का नागरिकों ने जबरदस्त विरोध किया।

खेल / कला

मार्कस स्टॉयनिस टी20 के टॉप ऑलराउंडर बने

ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टॉयनिस आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए। स्टॉयनिस ने अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ा। स्टॉयनिस ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, नबी को चौथे नंबर पर हैं। श्रीलंका के कप्तान हसरंगा दूसरे और बांग्लादेश के शाकिब तीसरे पर आ गए हैं। वहीं, वेस्ट इंडीज के स्पिनर अकील हुसैन 6 स्थान का सुधार कर गेंदबाजी में दूसरे पर आ गए हैं।

महिला तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 'गोल्ड की हैट्रिक'

भारतीय कंपाउंड महिला तीरंदाजी टीम ने वर्ल्ड कप में गोल्ड की हैट्रिक बनाई है। ज्योति सुरेखा वेन्नम (27 वर्ष), अदिति स्वामी (18 वर्ष) और परनीत कौर (19 वर्ष) की टीम ने तुर्किये में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज-3 के फाइनल में एस्टोनिया को 232-229 से हराया। यह टीम इस सीजन में अजेय रही है और तीनों विश्व कप स्टेज जीते हैं।

डब्ल्यूटीटी भारत ने 3 गोल्ड सहित 9 मेडल जीते

नाइजीरिया में लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस (डब्ल्यूटीटी) कंटेंडर में भारत का अभियान तीन गोल्ड, एक सिल्वर, पांच ब्रॉन्ज यानी कुल 9 मेडल के साथ खत्म हुआ। भारत ने महिला सिंगल्स व डबल्स के अलावा पुरुष डबल्स में गोल्ड जीते। हरमीत देसाई ने मानव ठक्कर के साथ जोड़ी बनाकर नाइजीरिया के ओलाजिदे ओमोतायो-अजीज सोलांके को 3-0 से हराकर टाइटल जीता। यह कंटेंडर टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी रही। श्रीजा अकुला ने महिला सिंगल्स अपने नाम किया था।

केटी बोल्टर ने जीता नॉटिंघम ओपन

नॉटिंघम, ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। 27 वर्षीय बोल्टर का यह तीसरा डब्ल्यूटीए टूर खिताब है। टूर्नामेंट में महिला वर्ग के फाइनल में बोल्टर ने चेक गणराज्य की कैरोलिन प्लिस्कोवा को कड़े मुकाबले में 4-6, 6-3, 6-2 से हराया। बोल्टर ने लगातार दूसरी बार नॉटिंघम ओपन टूर्नामेंट जीता है।

टिटमस का 200 मीटर तैराकी में विश्व रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया की एरियन टिटमस ने ओलंपिक तैराकी ट्रायल के दौरान महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टिटमस ने रेस एक मिनट 52.23 सेकेंड का समय निकालकर पूरी की। इससे पहले महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा का रिकॉर्ड मोलि ओ'कैलाघन के नाम था। ओकालापन ने पिछले वर्ष विश्व तैराकी चैम्पियनशिप में एक मिनट 52.85 सेकेंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

दुनिया के नंबर एक पैरा शटलर बने सुहास

उत्तर प्रदेश के खेल सचिव और स्टार पैरा शटलर सुहास एलवाई दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। हाल में जारी विश्व रैंकिंग में उन्होंने फ्रांस के लुकास मजूर को एसएल-4 एकल वर्ग में पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। टोक्यो पैरालंपिक में रजत जीतने वाले सुहास एलवाई अगस्त में होने वाले पेरिस पैरालंपिक में बतौर शीर्ष शटलर कोर्ट पर उतरेंगे। आईएएस के रूप में वे यह सफलता हासिल करने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। सुहास ने कहा, पहली बार विश्व का शीर्ष शटलर बनना जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में शुमार हो गया है। वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन टोक्यो के पिछले प्रदर्शन (रजत) को छोड़ने का प्रयास करूंगा।

जूडो में तूलिका ने हासिल किया ओलंपिक कोटा

राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तूलिका मान ने जूडो में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ (आईजेएफ) ने उन खिलाड़ियों की सूची जारी की जिन्होंने पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है। इनमें 25 वर्षीय तूलिका को 78 किग्रा से अधिक भार वर्ग में जगह मिली है। दिल्ली की यह खिलाड़ी 1345 अंक लेकर 36वें स्थान पर है। क्वालिफिकेशन की अवधि 22 जून 2022 से 23 जून 2024 तक थी। आईजेएफ ने अपनी वेबसाइट पर कहा, अगला चरण 2 जुलाई को होगा जब राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) उस खिलाड़ी को नामित करेंगे जो ओलंपिक में उनका प्रतिनिधित्व करेगा।

भारत ने हासिल किए रिकॉर्ड 32 पदक

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) के चार अधिकारियों ने फ्रांस में आयोजित 'वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ' खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डानिया जेम्स (महिला वर्ग में) ने सेंट ट्रोपेज में आयोजित खेलों के 43वें चरण में 19 स्वर्ण, नौ रजत और चार कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण

ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। एक मुकाबले में उन्होंने 85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की। नीरज चोपड़ा ने 83.62 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की।

भारत ने कुश्ती में जीते 11 पदक

भारत ने जॉर्डन के अम्मान में खेली जा रही अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत के युवा दल ने चार स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते। भारत के लिए चारों स्वर्ण पदक महिला पहलवानों ने जीते हैं। 46 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी, 53 किलोग्राम वर्ग में मुस्कान, 61 किलोग्राम वर्ग में रजनीता और 69 किलोग्राम वर्ग में मानसी लाठेर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं राजा बाला ने 40 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुषों में समर्थ गजानन मकावे ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। जबकि, 65 किलोग्राम श्रेणी में आकाश, 71 किलोग्राम में सचिन कुमार, 48 किलोग्राम में विकास कच्छप, 60 किलोग्राम में तुषार तुकाराम पाटिल और 110 किलोग्राम भार वर्ग में रौनक ने कांस्य पदक हासिल किया।

छत्तीसगढ़ शासन
दाई-दीदी बर
अब हर महीना
खुशहाली लावत हे
महतारी वंदन
योजना
विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़
₹ 12,000 सालाना
1 जुलाई 2024
पांचवी किस्त
की राशि जारी
मुख्यमंत्री
श्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए
QR SCAN करें
हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

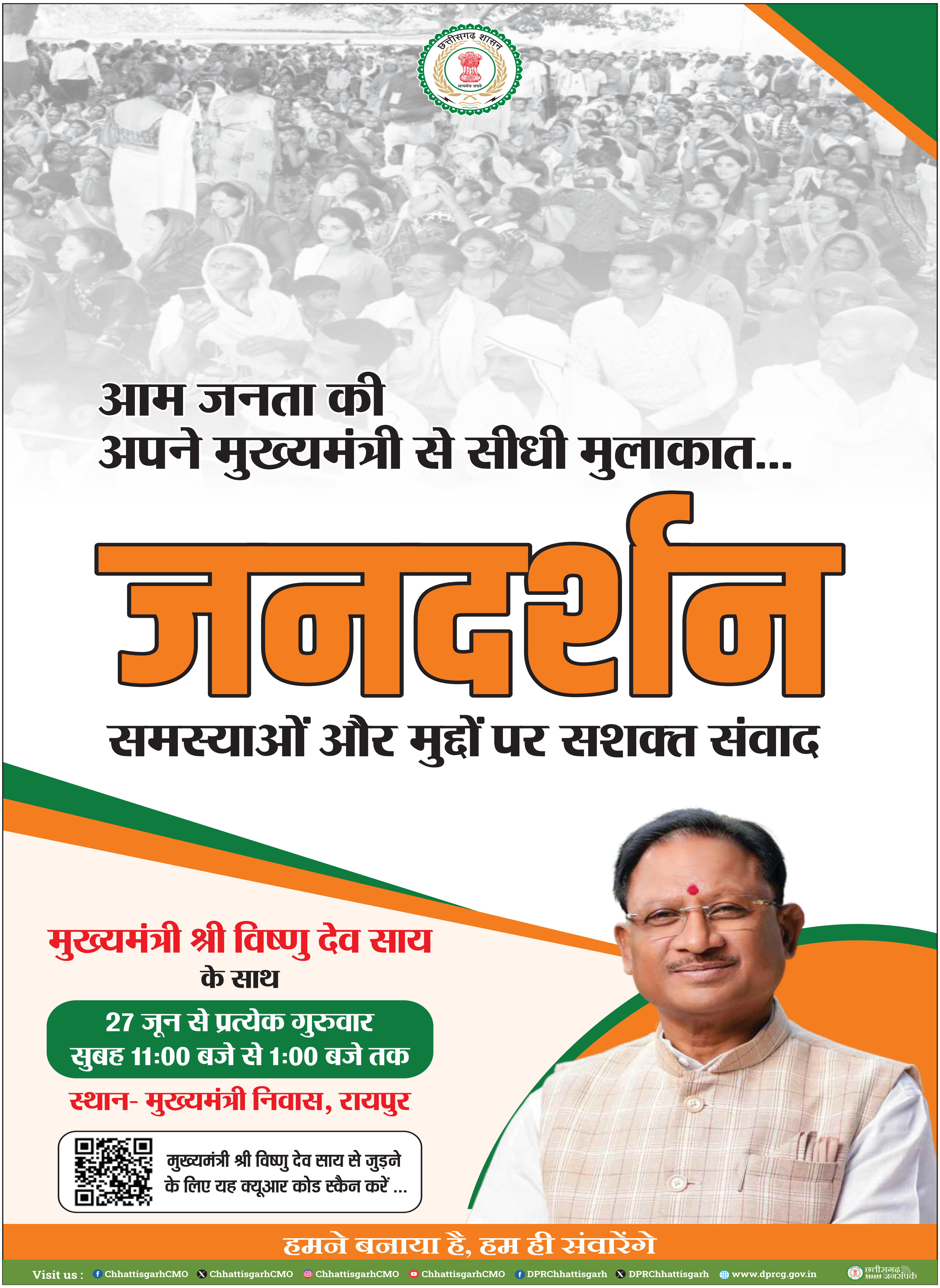

मयंक श्रीवास्तव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. मिशन मिडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़ से मुद्रित छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो